न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code – UP 1893

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 323/2026

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०– 846/2026

(CNR No: UPGZ010020732026)

1. रजनीश पुत्र राजबहादुर सिंह उम्र करीब 32 वर्ष, पति

2. राजबहादुर सिंह उर्फ आर.पी. सिंह पुत्र श्री लीलाधर सिंह उम्र 57 वर्ष, ससुर

3. श्रीमती सुशीला उर्फ गुडडी पत्नी राजबहादुर सिंह उम्र करीब 54 वर्ष सास,

निवासीगण एन–34 सेक्टर–12 प्रताप विहार, थाना विजयनगर, जिला–गाजियाबाद, उ०प्र०।

.....आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र०सरकार ... .विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या 48/2025

धारा–498A, 323, 504, 506 भा०द०सं० एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना –महिला थाना, जिला गाजियाबाद।

.....

<u>आदेश</u>

<u>13.02.2026</u>

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण रजनीश , राजबहादुर सिंह उर्फ आर.पी. सिंह एवं श्रीमती सुशीला उर्फ गुडडी की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि उनका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक / अभियुक्तगण पीडिता का पति, सास व ससुर हैं। आवेदक/अभियुक्तगण ने पीडिता से कभी दहेज की कोई मांग नहीं की और न ही दहेज के लिए प्रताडित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त रजनीश ने अपनी पत्नी नीतू व उसके भाई रवि व अजय व मनीष के विरूद्ध एक परिवाद संख्या 32161/2023 गाली गलौंच, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दायर कर रखा है। आवेदक/अभियुक्तगण सम्मानित परिवार के सदस्य हैं। आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से पक्षकारों के मध्य, मध्यस्थता कराये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा संलग्न प्रपत्रों का परिशीलन किया।

5. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता कराये जाने हेतु

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.02.16 16:58:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

याचना की गयी है। उक्त मामले को मध्यस्थता हेतु मध्यस्थता केन्द्र गाजियाबाद को प्रेषित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 23.02.2026 को मध्यस्थता केन्द्र गाजियाबाद में उपस्थित हों। वादिनी पर नोटिस की तामील सम्बन्धित थाने के माध्यम से करायी जाए। पीठासीन अधिकारी मध्यस्थता केन्द्र अपने स्तर से वादिनी को सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक प्रपत्र को अविलम्ब मध्यस्थता केन्द्र को प्रेषित करे। पीठासीन अधिकारी मध्यस्थता केन्द्र गाजियाबाद से अपेक्षित है कि अपनी आख्या नियत दिनांक से पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6. प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि पक्षकारों के मध्य वैवाहिक सम्बन्धों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। आवेदक/अभियुक्तगण पीडिता का पति, ससुर व सास हैं। नियत दिनांक तक आवेदक/अभियुक्तगण को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो –दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।

7. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 25.02.2026 को सुनवाई हेतु पेश हो। नियत दिनांक के लिए सम्बन्धित थाने से केस डायरी आहूत हो।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दि० 13.02.2026